साइबर क्राइम पुलिस थाना, वाराणसी, कमिश्नरेट वाराणसी।

रिजर्व पुलिस लाइन , जनपद- वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत पिन नं.- 221002

सी.यू.जी. नं.-7839876647 **ई-मेल- sho-cybercrime.va@up.gov.in**

प्रेस नोट दिनांक-02.10.2024

विषयः-

KIA MOTORS की एजेंसी दिलाने के नाम पर लगभग 72 लाख रूपये की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 04 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल, नगदी व अन्य सामान बरामद।

आवेदक श्री तेजश्वी शुक्ला निवासी गौरीगंज, थाना -भेलूपूर ,वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी में प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ अज्ञात साइबर अपराधियो द्वारा KIA MOTORS कम्पनी के नाम से फर्जी बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से एजेन्सी दिलाने के नाम पर कुल करीब 72 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिस पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. – 0063/2024 धारा- 417, 420, भा.द.वि. व 66 डी. आई.टी. एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

उक्त प्रकरण के गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री प्रमोद कुमार द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। जिसके पश्चात् अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री सरवणन टी. व सहायक पुलिस आयुक्त(अपराध) श्री गौरव कुमार द्वारा नेतृत्व करते हुए उ0नि0 श्री संजीव कन्नौजिया की अगुवाई में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट, ओपेन सोर्स इंटेलिजेंस टूल आदि की मदद से उक्त घटना में शामिल गैंग के सरगना सहित 04 साइबर अपराधियो को ***पटना बिहार*** से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीकाः-

अभियुक्तगण के द्वारा सामूहिक रुप से मुकदमा उपरोक्त में आपराधिक षडयन्त्र के तहत योजनापूर्वक KIA MOTORS कम्पनी के नाम की फर्जी वेबसाइट/ईमेल बनायी गई तथा इस बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से वादी मुकदमा को अपने झांसे में फसाने के लिए KIA MOTORS कम्पनी के फर्जी REPRESENTATIVE बनकर एजेन्सी दिलाने के बाबत फर्जी व कूट रचित दस्तावेज जैसे इनलिस्टमेन्ट लेटर, इन्टेन्ट लेटर आदि भेजा गया तथा तथाकथित KIA MOTORS कम्पनी के बैंक खाते में रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, जीएसटी फीस आदि का हवाला देते हुए पैसा विभिन्न खातों में डलावाया गया जिसका फर्जी KIA MOTORS COMPANY के लेटर हेड पर फर्जी INVOICE भेज कर वादी मुकदमा को अपने झांसे में लेकर साइबर ठगी की गयी। अभियुक्तगण द्वारा यह कार्य योजनबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र के तहत शामिल रहकर अपना अपना कार्य जैसे वेवसाइट /ई-मेल से लीड प्राप्त करना, पीड़ितो को काल करना, फर्जी सिम व म्यूल बैंक खातों का प्रबन्ध करना व इंटरनेट बैंकिंग का संचालन कर पैसे ट्रासफर करना , ए.टी.एम. के माध्यम से निकासी करना आदि किया गया है। ठगे गये पैसों को अपने कार्य अनुसार आपस में बांट लिया गया है , अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के चालाक व तकनीकि रूप से दक्ष व अभ्यस्थ साइबर अपराधी है तथा साइबर अपराध करने के तौर तरीको से भली भाति परिचित है, ये लोग अपनी पहचान छिपाने व पुलिस के पहुंच से दूर रहने के उद्देश्य से फर्जी सिम कार्ड व म्यूल बैंक खातों का प्रयोग करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रियरंजन कुमार पुत्र प्रभुप्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम रघुबिगहा निकट हनुमान मंदिर दक्षिण टोला थाना नालंदा जनपद नालंदा बिहार उम्र 28 वर्ष
2. सत्येन्द्र सुमन उर्फ नेताजी पुत्र भरत प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम रघुबिगहा निकट हनुमान मंदिर दक्षिण टोला थाना नालंदा जनपद नालंदा बिहार उम्र 26 वर्ष
3. रंजन कुमार पुत्र उमेश प्रसाद कुशवाहा निवासी नियामत नगर थाना सिलाव जनपद नालंदा बिहार उम्र 22 वर्ष
4. रमेश सिंह भूटोला पुत्र स्व0 मंगद सिंह भुटोला निवासी ए0205 चन्द्र बिहार गली नम्बर 12 भद्रावली फाजिलपुर थाना मधुबिहार ईस्ट दिल्ली उम्र 46 वर्ष मूलपता ग्राम गंघारी थाना रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग उत्तराखंड

गिरफ्तारी/हिरासत पुलिस का स्थान- पटना बिहार।

आपराधिक इतिहास –

मु.अ.सं.- 0063/2024 धारा- 417,420,120बी,465,468,471, 411 भादवि व 66 सी, 66 डी, 74 आई.टी. एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।

मु.अ.सं. - 103/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भादवि 66सी आई0टी0 एक्ट थाना हवाई अड्डा पटना बिहार। **(प्रियरंजन कुमार व रंजन कुमार)।**

बरामदगी का विवरणः-

मल्टीमीडिया एण्ड्राइड/आईओएस मोबाइल फोन - 09 अदद (कीमत करीब 10 लाख रूपये)।

लैपटाप- 01 अदद।

फर्जी बैंक खातो आदि की हिसाब किताब डायरी- 01 अदद।

बैंक डेबिट कार्ड –20 अदद।

सिम कार्ड – 02 अदद।

मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित नगदी- 22,460 **रूपये।**

पुलिस टीम का विवरणः-

श्री विजय नारायण मिश्र - प्रभारी निरीक्षक	निरीक्षक राजकिशोर पाण्डेय
निरीक्षक अनीता सिंह	उप निरीक्षक संजीव कन्नौजिया
उप निरीक्षक सतीश सिंह	उप निरीक्षक नीलम सिंह
हे.का. आलोक कुमार सिंह	हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता
हे.का. प्रभात कुमार द्विवेदी	हे0का0 राजेन्द्र पाण्डेय
का. पुनीता यादव	का. देवेन्द्र कुमार
का. अनिल कुमार यादव	का. अवनीश सिंह
का. दिलीप कुमार	का. पृथ्वी राज सिंह
का. प्रीति सिंह	का.अंकित कुमार प्रजापति
का0 मनीष सिंह	का. चन्द्रशेखर यादव
आ0 चा0 विजय कुमार	

नोटः- उपरोक्त मुकदमें के गिरफ्तारी में सर्विलांस सेल, कमिश्नरेट वाराणसी की भी भूमिका रही।

प्रभारी निरीक्षक
साइबर क्राइम पुलिस थाना,
कमिश्नरेट वाराणसी।